कई मायनों में कोयला उपकर की वापसी जरूरी



ऐसा माना जा रहा है कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों, और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए कोयला उपकर दोबारा लागू करना चाहिए।

भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहां उद्योगों, परिवहन, कृषि और शहरीकरण के विस्तार के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कोयले पर निर्भरता अचानक समाप्त करना व्यावहारिक नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कोयले के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन की कीमत समाज और पर्यावरण चुकाते रहें। यही कारण है कि कोयला उपकर को एक आर्थिक और पर्यावरणीय नीति के रूप में देखा जा रहा है।

कुछ तथ्य -

- वर्ष 2025 में भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लगातार बढ़ता रहा, जबकि दुनिया में उत्सर्जन बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई। नवीनतम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत पांच पायदान फिसलकर 28वें स्थान पर पहुंच गया है। यह सूचकांक 64 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु प्रदर्शन का आकलन करता है।
- यह स्थिति तब है, जब भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
- अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में बिजली की मांग सालाना 6.4% की दर से बढ़ेगी। ऐसे में कोयले से तेजी से पूरी तरह बाहर निकलना लगभग असंभव है।

इसलिए कोयले पर उपकर लगाना यह संकेत देगा कि भारत अपनी कार्बन-निर्भरता की पर्यावरणीय कीमत तय करने के लिए तैयार है। इससे भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगने वाले कार्बन संबंधी अतिरिक्त खर्च को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

- ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत कार्बन मूल्य से जुड़ी राहत के लिए मान्यता दी है। हालांकि, यूरोपीय संघ ने अभी ऐसा नहीं किया है।

  कोयला उपकर लगाने से भारत का पक्ष मजबूत हो सकता है और उसे यूरोपीय संघ से भी ऐसी राहत प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

- कार्बन टैक्स की तुलना में कोयला उपकर लागू करना आसान होगा, क्योंकि इसके लिए कर कानूनों में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- वर्तमान में कोयले पर 18% GST लागू है। ऐसे में प्रति टन कोयले पर पहले के 400 रुपये के मुकाबले 500 रुपये का अतिरिक्त उपकर लगाना बहुत अधिक नहीं होगा।

  कोयला उपकर से प्राप्त राशि वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बांटे जाने वाले कर राजस्व के हिस्से में शामिल नहीं होती। इसलिए इस राशि को विशेष रूप से न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन कोष के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

  इस कोष का राज्यों के बीच वितरण उनके प्रयासों, आर्थिक क्षमता और ऊर्जा परिवर्तन की लागत के आधार पर किया जा सकता है। इससे उन राज्यों की चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी, जो केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले उपकर का विरोध कर सकते हैं।

- वर्ष 2024-25 में कोयला उपकर से 52,500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसलिए कोयला उपकर की वापसी से ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक समर्पित कोष तैयार होगा, और दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत कार्बन उत्सर्जन घटाने तथा स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

'द इकोनॉमिक टाइम्स' में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 13/11/26